राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1744/2025

हरि बाबू शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, वानिकी एवं वन्यजीव विभाग, राजस्थान जयपुर एवं अन्य

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 04.03.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री कुणाल अग्रवाल, अभिभाषक

निजी प्रत्यर्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री मनीष सिंह तोमर, अति.राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में क्षेत्रिय वन अधिकारी के पद पर रेंज दातारामगढ़, उप वन संरक्षक, सीकर में कार्यरत है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण ईकाई जयपुर, कार्यालय उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, जयपुर से रेंज श्रीमाधोपुर, उप वन संरक्षक, सीकर में किया गया था। इसके पश्चात आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–3) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण रेंज श्रीमाधोपुर, उप वन संरक्षक, सीकर से रेंज दातारामगढ, उप वन संरक्षक, सीकर में किया गया है। इसके पश्चात दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के अन्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण रेंज दातारामगढ, उप वन संरक्षक, सीकर में स्थानान्तरणाधीन होना दर्शाते हुए रेंज वन्यजीव मण्डरायल, उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक द्वितीय, आरटीपी करौली में किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी के सम्बन्ध में दिनांक 15.01.2025 को दो स्थानान्तरण आदेश जारी किये गये हैं, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से कथन है कि पूर्व में जो स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–3) जारी किया गया था, उसकी पालना में अपीलार्थी ने रेंज दातारामगढ उप वन

संरक्षक, सीकर में दिनांक 16.01.2025 को कार्य ग्रहण कर लिया था। कार्य ग्रहण करने के पश्चात अपीलार्थी को स्थानान्तरणाधीन होना दर्शाते हुए पुनः स्थानान्तरण किया जाना उचित नहीं है।

3. निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 राधेश्याम गुर्जर की ओर से अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी ने पूर्व में कार्यरत स्थान रेंज श्रीमाधोपुर, उप वन संरक्षक, सीकर से कार्यमुक्त हुए बिना ही नियम विरूद्ध तरीके से रेंज दातारामगढ उप वन संरक्षक सीकर में कार्य ग्रहण किया है, जबकि रेंज दातारामगढ उप वन संरक्षक सीकर निजी प्रत्यर्थी को पदस्थापित किया गया है। निजी प्रत्यर्थी का यह भी तर्क है कि निजी प्रत्यर्थी ने भी रेंज दातारामगढ उप वन संरक्षक सीकर में दिनांक 03.02.2025 को कार्य ग्रहण कर लिया है।

4. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

5. हम पाते है कि अपीलार्थी को आदेश क्रमांक 2 दिनांक 15.01.2025 के द्वारा रेंज दातारामगढ, उप वन संरक्षक, सीकर में पदस्थापित किया गया था और अपीलार्थी ने रेंज दातारामगढ उप वन संरक्षक सीकर में कार्य ग्रहण कर लिया है। यह भी तथ्य प्रकट हुआ है कि आदेश क्रमांक 301 दिनांक 15.01.2025 के द्वारा निजी प्रत्यर्थी राधेश्याम गुर्जर का स्थानान्तरण रेंज दातारामगढ उप वन संरक्षक सीकर में किया गया और उनके द्वारा भी रेंज दातारामगढ उप वन संरक्षक सीकर में कार्य ग्रहण कर लिया गया। हम पाते हैं कि वर्तमान में अपीलार्थी और निजी प्रत्यर्थी दोनों ही रेंज दातारामगढ उप वन संरक्षक सीकर में कार्यरत है। ऐसे में एक ही पद पर दो व्यक्ति कार्यरत हैं। उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए इस अपील का निस्तारण इस आदेश के साथ किया जाता है कि प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी व निजी प्रत्यर्थी के सम्बन्ध में नये सीरे से स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश पारित करे। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि चूंकि दोनों ही व्यक्तियों का स्थानान्तरण दिनांक 15.01.2025 को किया गया था। ऐसे में नये सीरे से आदेश पारित किये जाने में स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध लागू नहीं किया जाए। नये सीरे से स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश पारित किये जाने तक अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान रेंज दातारामगढ उप वन संरक्षक सीकर से कार्यमुक्त नहीं किया जाए।

6. उपरोक्त आदेश के साथ इस अपील का निस्तारण किया जाता है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष